Tele Fax: 0132- 2713526

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD,
(REGIONAL LABORATORY- SAHARANPUR)

Ref. No. 1374/O.A.No-763/2019/Babita/2019 Dated: 18-12-2019

To,

The Registrar General
Hon'ble National Green Tribunal
New Delhi

Subject- Regarding Original Application No. 763/2019 Babita Vs State of U.P..

Sir,

This has reference to the Hon'ble court order dated 20.09.2019, Under O.A. No.-763/2019 Babita Vs State of Uttar Pradesh **"Let the SPCB look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by E-mail at judicial_ngt@gov.in".** In continuation of the Hon'ble court order, the detailed factual and action taken report alongwith attachments (Annexure-1 to 9) regarding the concern matter is enclosed herewith for your perusal and further direction please.

Yours faithfully

(S.R. Maurya)
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Saharanpur (U.P.)

Copy to-
1- Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble NGT, New Delhi.
2- Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3- Legal Officer -1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Saharanpur (U.P.)

NGT Case

COMPLIANCE REPORT OF HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ORDER DATED-20.09.2019 UNDER ORIGINAL APPLICATION NO. 763/2019 Babita V/s State of Uttar Pradesh.

In compliance of the Hon'ble court order 20.09.2019 under the same application and the grievance application submit by the applicant in the Hon'ble Court which is attached with the court order and forwarded to State Board, The inspection of the concern industry and the land (ash dumping yard) has been conducted by undersigned on dated 05.12.2019. The detailed factual and action taken report in the concern matter is as follows.

1. M/s Bajaj Hindustan Sugar Limited established since 2006 in village Gangnoli, Tehsil Deoband, District Saharanpur. The GPS coordinate of the industry are 29°48'34.3"N 77°35'13.3"E and the concern ash dumping yard is 29°48'48.8"N 77°35'03.2"E.
2. The Industry used sugar cane and process chemical as a raw material and produced 1000 ton per day of sugar production. The cane crushing capacity of sugar mill is 10000 ton per day.
3. At the time of inspection industry found in operation. According to the representative of industry present at the time of inspection, industry starts production from 02 November, 2019 in present crushing season.
4. The major air pollution sources of industry are the boilers of capacity **(90 x 02 Nos., 30 x 01 Nos.)** for the steam production. At the time of inspection all the boilers were found in operation. Baggasse is used as fuel in boiler. Wet scrubber and common stack of height 65 Mtr. is installed to control source emission generated by combustion of fuel in the boilers. At the time of inspection air pollution control system (wet scrubber) attached with boiler were found in operation.
5. The monitoring of source emission through stack has been conducted at the time of inspection. According to the monitoring report, the emission found within environmental standard. **The detailed monitoring report is attached herewith. (Annexure-1)**
6. Industry has valid consent to operation upto 31.12.2019 under The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 issued by UP Pollution Control Board. In the continuation of above consent, Industry has applied for renewal of consent.
7. The ash generated by the boiler is go through clarifier and filter-bed transported by the vehicles to dump on the land of industry.
8. The concern ash dumping yard is one of the yard use for dumping of ash generated by the combustion of boilers is present on the road side of Gangnoli village in North direction which is approx 400 mtr. far from boiler of sugar industry. The land (ash dumping yard) has a khasra number 448,450,451 village Gangnoli. The land has approval for industrial use under section 143, issued by Sub Divisional magistrate Tehsil Deoband District Saharanpur. The population of village Gangnoli is in North direction and is approx 01 km. far from the concern complained site (ash dumping yard). The applicant house is approx 15 mtr. far in front of ash dumping yard. According to the representation given by industry wide letter dated 30.11.2019, industry used the concern land for dumping of ash since year 2006. The applicant has constructed his home in front of ash dumping yard after year 2006. **(Annexure-2)**
9. The first complain given by the same applicant came to regional office UPPCB, Saharanpur through IGRS portal on dated 14.05.2018 and 12.05.2018. In reference of the concern complain, a inspection of industry and complain site was done on 26.05.2018. On the basis of the facts found in the inspection, some directions was issued to industry by the regional

officer UPPCB Saharanpur on dated 29.05.2018 to the industry to take appropriate time bound action for regulation the air emission generated by same ash dumping yard.**(Annexure-3)**

10. In continuation of the direction issued, the industry made a wall 09 feet height in front of ash yard. Industry has shifted ash from the road side to approx 100 mtr. inside of ash dumping yard. Industry have done plantation of green belt and mud capping of the ash stored in ash dumping yard. **The detailed inspection with the photograph is attached herewith. (Annexure-4)**
11. A grievances (No.10051/24/64/2019/OC dated 25.04.2019) by the same applicant Mrs. Babita Village Gangnoli was submitted in Hon'ble Human Right Commission has been forwarded by District Magistrate Saharanpur to carried out a joint inspection by UPPCB and District Cane Officer to regional office UPPCB, Saharanpur. In compliance of the District Magistrate direction, joint inspection of the site was conducted by officers of regional office UPPCB, Saharanpur and District Cane officer, Saharanpur on dated 23.08.2019. Under the joint inspection, the crop field was inspected by joint team in which no adverse effect of ash was found on the crop field. However the joint committee recommended to produce factual reports in the matter regarding the health issues of the applicant family and adverse effects on crops field by ash dumping yard to Chief Medical Officer and District Agriculture Officer, Saharanpur. **The detailed joint inspection report and recommendation are attached herewith. (Annexure-5)**
12. The factual report by District Agriculture officer is received in the matter by letter No. 447/Krishi/Janch/2019-20/dated 24.08.2019. According to the report of DAO, Saharanpur, no adverse effect was found on the crop fields of applicant by the ash dumping yard. **(Annexure-6)**
13. The factual report by Chief Medical officer, Saharanpur is received in the matter by letter No. Gram Gangnoli/Karya/2019-287-8-80 dated 25.11.2019. According to the report of CMO, Saharanpur, no any respiratory disease was found in applicant family.**(Annexure-7)**
14. The factual report by Chief Veterinary Officer Saharanpur is received in the matter by letter No. 1563/को0के0सामान्य/2017-18 Dated 22.11.2019. According to the report of Chief Veterinary Officer, no any disease was found in animals due to ash dumping yard **(Annexure-8)**
15. At the time of inspection dated 05.12.2019 Mr. R.P. Singh AGM was present as industry representative. They have given the written statement on behalf of industry that the industry has abandoned the concern ash dumping yard for future dumping of ash generated by boilers. No activities of dumping of ash was found during the inspection **(Latest Photograph is attached as Annexrue-9).** However it has been directed to the representative that industry shall completely closed the gate of ash dumping yard by making concrete wall.

All above for your perusal and further directions please.

(Pawan Mishra)
Scientific Assistant

(Geetesh Chandra)
Assistant Scientific Officer

Regional Officer

11/12/19

NGT Case

Annexure-1

Tele Fax: 0132- 2713526

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD,
(REGIONAL LABORATORY- SAHARANPUR)

Stack Emission Monitoring Report

1.	**Name and Address of Industry**	M/s Bajaj Hindusthan Ltd. (Sugar Unit) Gangnauli, Saharanpur	
2.	**Monitored By**	Sanjay Jaiswal (LA) Pawan Mishra (SA) Geetesh Chandra (ASO)	
3.	**Date of Monitoring**	05.12.2019	
4.	**Stack Material & Diameter at Port Hole**	RCC, 5600 mm	
5.	**Source to which Stack attached**	Boilers of Capacity 90TPH (2nos) & 30TPH (1nos)	
6.	**Type & Quantity of Fuel Used**	Bagasse – 80 TPH Approx. & Bio Gas – 2700 M^3/Hrs	
7.	**Details of APCS Installed**	Wet Scrubber in Each Boiler Separately.	
PARAMETER		**MONITORING RESULTS**	**PRESCRIBED STANDARD**
1.	**Stack Height in Meters**	65	
2.	**Ambient Temperature in ^{0}C**	15	
3.	**Stack Gas Temperature in ^{0}C**	120	
4.	**Velocity in Meter/Sec**	11.5	
5.	**Concentration PM in mg/Nm^3**	95.80	150.00
6.	**Concentration Sulphur Dioxide in mg/Nm^3**	…..	
7.	**Concentration Nitrogen Dioxide in mg/Nm^3**	…..	
8.	**Others**	…..	

Remark: - APCS were found functional & working properly at the time of Monitoring.

(Pawan Mishra)
Scientific Assistant

(Geetesh Chandra)
Assistant Scientific Officer

(S R Maurya)
Regional Officer

Office Address – **33 / 18** *Kapil Vihar near Vishwakarma Chowk, Saharanpur.*
E-Mail- *rosaharanpur@uppcb.com,* ***Web site*** *- www.uppcb.com*

Annexure-2

03/12/19

bajaj SUGAR

बीएचएसएल/जीएनएल/

30 नवम्बर, 2019

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सहारनपुर।

प्राप्त संख्या 743
दिनांक 03-12-19

महोदय,

अवगत कराना है कि फैक्ट्री द्वारा राख निस्तारण के प्रयोग हेतु स्थल जिसका खसरा नं0 448, 450 व 451 को औद्योगिक प्रयोग हेतु क्रय किया गया था जिसकी खतौनी संलग्न है। शुगर मिल के ब्वायलर से जनित राख का निस्तारण उक्त भूमि पर किया जाता रहा है। वर्ष 2006 में उक्त भण्डारण स्थल के सामने शिकायतकर्त्ता का निवास स्थल नहीं था एवं निकटतम आबादी ग्राम गंगानौली की दूरी लगभग एक किलोमीटर है। शिकायकर्त्ता द्वारा उक्त स्थल के पास बाद में अपना निवास स्थल बनाया गया।

वर्तमान में उक्त राख भण्डारण स्थल का प्रयोग राख भण्डारण हेतु नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2018 में उक्त स्थल पर राख भण्डारण मिल द्वारा बंद कर दिया गया तथा उस स्थान पर वृक्षारोपण व बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया गया है जिससे आस पास के जनमानस व वातावरण पर कोई प्रतिकुल प्रभाव न पड़े।

शिकायतकर्त्ता द्वारा जानबूझकर परेशान करने व अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु स्वयं व अपने परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बार–बार आधारहीन शिकायत करता रहता है। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए शिकायत का निस्तारण करने का कष्ट करें।

ASO/SA

03/12/19

सधन्यवाद!

भवदीय,
कृते बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0

अधिकृत अधिकारी

Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.
Unit : Village - Gangnauli, P.O. Tanshipur, Tehsil - Deoband, District Saharanpur - 247 551
Tel.: + 91-1336-235401 | Fax: +91-1336-235403
Regd. Office : Golagokarannath, Lakhimpur-Kheri, District Kheri,Uttar Pradesh - 262 802
Tel: + 91-5876-233754/5/7/8, 233403 | Fax: +91-5876-233401 | E-mail : investors@bajajhindusthan.com | CIN: L15420UP1931PLC065243

bajaj GROUP
THINK TOMORROW

दाखिल

4

न्यायालय उप जिलाधिकारी देवबन्द जिला सहारनपुर।

वाद संख्या: 10 /2006–07 धारा 143 ज0वि0अधि0

फूल सिंह बनाम ग्राम सभा आदि

ग्राम गांगनौली परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

नकल आदेश दिनांक 6/2/07

श्री फूल सिंह पुत्र फग्गन निवासी ग्राम गांगनौली परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर ने धारा 143 भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि खाता संख्या 157 खसरा नम्बर 451 रकबा 0.290है0,व खाता संख्या 94 खसरा नम्बर 448मि रकबा 0.102है0 कुल दो खेत कुल रकबा 0.392है0 लगान क्रमशः 11.25पैसे व 3.60पैसे कुल 14.85पैसे स्थित ग्राम गांगनौली परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर का संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि अब मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि0 द्वारा लगायी गयी शुगर फैक्ट्री की मैली डालने का कार्य हो रहा है। प्रार्थी ने उक्त नम्बरान को धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में तहसीलदार देवबन्द से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार देवबन्द ने अपनी जांच आख्या दिनांक 17.1..2007 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 451 रकबा 0.290है0 खसरा नम्बर 448मि रकबा 0.102है0 कुल दो खेत कुल रकबा 0.392है0 लगान 14.85पैसे श्री फूल सिंह पुत्र फग्गन निवासी गांगनौली के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत खसरा नम्बरान पर बजाज हिन्दुस्तान शुगर फैक्ट्री की मैली डालने का कार्य हो रहा है। प्रश्नगत खसरा नम्बर 451 रकबा 0.290है0 व खसरा नम्बर 448मि रकबा 0.102है0 कुल दो खेत कल रककबा 0.392है0 स्थित ग्राम गांगनौली परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर को अकृषिक घोषित करते हुए लगान माफ किये जाने की संस्तुति की गयी है। तहसीलदार देवबन्द ने अपनी जांच आख्या नियम 135 ज0वि0अधि0 के साथ प्रस्तुत की है।

अतः तहसीलदार देवबन्द की आख्या दिनांक 17.1.2007 के कम में उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगान अंकन क्रमशः 11.25पैसे व 3.60पैसे कुल 14.85पैसे से मुक्त किया जाता है। उक्त आदेश की एक प्रति तहसीलदार देववन्द को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये एवं एक प्रति उपनिबन्धक देववन्द को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली भूराजस्व अभिलेखागार में संचित होवे।

ह0 अ0

उपजिलाधिकारी,

देवबन्द।

दिनांक: 6 फरवरी 2007

95

प्रार्थना पत्र की तारीख	14/3/07
	14/3/07
	15/3/07
	6=50
	150

प्रमाणित प्रतिलिपि

Reader 15/3/07

Annexure-3

दूरभाष : 2713526

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33/18 कपिल बिहार, सहारनपुर –247001

पत्रांकः 271 / आई0जी0आर0एस0/2018 दिनांकः 29 .05.2018

सेवा में,

मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0,
ग्राम–गंगनौली, तहसील–देवबन्द,
सहारनपुर ।

पंजीकृत

विषयः– उ0प्र0 शासन द्वारा अंतरित जन सुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उ0प्र0 के माध्यम से प्राप्त उद्योग की शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उ0प्र0 शासन द्वारा अन्तरित जन सुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से श्री गर्वित पुत्र श्री नरेन्द्र एवं गरिमा पुत्री श्री नरेन्द्र ग्राम–गंगनौली, तहसील–देवबन्द, जनपद–सहारनपुर द्वारा उद्योग से जनित राख से प्रदूषण की शिकायत इस कार्यालय में दिनांक–14.05.2018 एवं 12.05.2018 प्राप्त हुई है। उद्योग से जनित राख का निस्तारण शिकायतकर्ता के घर जोकि उद्योग परिसर के पीछे ग्राम–गंगनौली रोड पर स्थित है के सामने डम्पिंग ग्राउण्ड पर किया जाता है। आप द्वारा राख निस्तारण स्थल से राख की शिफ्टिंग एवं निस्तारण स्थल के सामने 10 फीट ऊंची बाउण्ड्री वाल किये जाने का प्रस्ताव पत्र दिनांक–16.05.2018 के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त है। आप द्वारा उपरोक्त कार्य को दिनांक–10.06.2018 से पहले पूर्ण कर लिये जाने की सहमति दी गयी है। प्राप्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक–26.05.2018 को किया गया। आप द्वारा राख के डम्पिंग यार्ड पर 10 फीट ऊंची बाउण्ड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा है एवं राख की शिफ्टिंग की जा रही है। इस सम्बन्ध में आपको निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

1. डम्पिंग यार्ड पर 10 फीट ऊंची बाउण्ड्री वाल को 15 फीट ऊंचाई की बाउण्ड्री वाल का निर्माण किया जाये।
2. राख को ग्राम–गंगनौली रोड के किनारे से विस्थापित कर राख की मड कैपिंग की जाये।
3. निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता के घर एवं डम्पिंग यार्ड के आस–पास मक्खी व कीट की समस्या विद्यमान पायी गयी। मक्खी व कीट को खत्म किये जाने हेतु कीटनाशक का छिडकाव किया जाये।
4. डम्पिंग यार्ड की बाउण्ड्री वाल के किनारे सघन वृक्ष रोपित किये जाये।
5. उद्योग द्वारा वायु सहमति मे निहित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही दिनांक–10.06.2018 पूर्व सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में उद्योग के विरूद्ध वायु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय उद्योग का होगा।

भवदीय,

(एस0आर0मौर्या)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री गर्वित पुत्र श्री नरेन्द्र ग्राम–गंगनौली, तहसील–देवबन्द, जनपद–सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. कु0 गरिमा पुत्री श्री नरेन्द्र ग्राम–गंगनौली, तहसील–देवबन्द, जनपद–सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

IGRS

Annexure-4

दूरभाष : 2713526

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33/18 कपिल बिहार, सहारनपुर -247001

पत्रांकः 678/ आई0जी0आर0एस0/2018 दिनांकः 14 .08.2018

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,

सहारनपुर ।

विषयः- उ0प्र0 शासन द्वारा अंतरित जन सुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उ0प्र0 के संदर्भ संख्या-40013218014189 दिनांक-30.07.2018 द्वारा प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली,उ0प्र0 के सन्दर्भ सं0-40013218014189 दिनांक-30.07.2018 द्वारा श्री नरेन्द्र पुत्र श्री कालूराम, ग्राम-गंगनौली तहसील-देवबन्द, जनपद-सहारनपुर द्वारा मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान लि0, शुगर यूनिट गंगनौली से जनित राख से प्रदूषण की शिकायत की गयी है। उद्योग में चीनी एवं रेक्टिफाईड एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग बन्द पाया गया । उद्योग में चीनी एवं एल्कोहल उत्पादन बन्द पाया गया एवं उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री आर0पी0 सिंह प्रबन्धक उपस्थित थे।

शिकायतकर्ता का घर मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान लि0, शुगर यूनिट के पीछे ग्राम-गंगनौली रोड पर कृषि भूमि पर स्थित है। ग्राम-गंगनौली की दूरी शिकायतकर्ता के घर से लगभग 1.0 किमी0 है। शिकायतकर्ता का घर कृषि भूमि पर स्थित है। शिकायतकर्ता के घर के सामने लगभग 10-15 मी0 की दूरी पर सन्दर्भित उद्योग से जनित राख का डम्पिंग ग्राउण्ड स्थित है। पूर्व में शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में इस कार्यालय के पत्र द्वारा उद्योग को ग्राम-गंगनौली मार्ग के निकट भण्डारित राख को विस्थापित करने, शिकायतकर्ता के घर के सामने डम्पिंग यार्ड पर बाउण्ड्री वाल का निर्माण कराने एवं वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उद्योग द्वारा शिकायतकर्ता के घर के सामने डम्पिंग यार्ड को बाउण्ड्री वाल से कवर्ड कर दिया गया है। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री आर0पी0सिंह प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत बाउण्ड्री वाल की उंचाई 15 फीट किये जाने से बाउण्ड्री वाल का अस्थिर होने की सम्भावना है जिससे भविष्य में दुर्घटना सम्भावित हो सकती है। जिस कारण दीवार की उंचाई 15 फीट किया जाना सम्भव नहीं है। उद्योग द्वारा शिकायतकर्ता के घर के सामनें बाउण्ड्री वाल के निकट लगभग 300 पौधों का रोपण किया गया है एवं शिकायतकर्ता के घर के सामने से राख को डम्पिंग यार्ड परिसर में 100 मी0 अन्दर तक विस्थापित कर दिया गया है एवं राख की मड-कैपिंग कर दी गयी है। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग के निकट ग्रामों में कीटनाशक का छिडकाव नियमित अन्तराल पर किया जा रहा है।

राख की मडकैपिंग कार्य का छायाचित्र

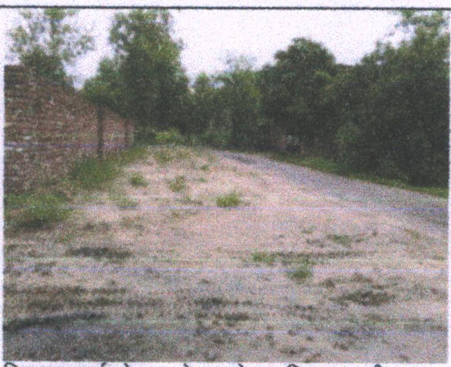
शिकायतकर्ता के घर के सामने स्थापित बाउण्ड्री वाल का छायाचित्र

वृक्षारोपण का छायाचित्र

उद्योग द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के सन्दर्भ में कार्यवाही कर दी गयी है एवं शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार उक्त शिकायत को निस्तारित करने की कृपा करे।

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(पवन मिश्रा)
वैज्ञा0सहायक

(गीतेश चन्द्रा)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

IGRS

14/8/18

Annexure-5

मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, में श्रीमती बबीता, ग्राम–गंगनौली, पोस्ट–तांसीपुर, जनपद–सहारनपुर द्वारा दर्ज केस सं0–10051/24/64/2019/ओ0सी0 दिनांक–25.04.2019 के सम्बन्ध में संयुक्त जांच आख्या।

कृपया मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, में श्रीमती बबीता, ग्राम–गंगनौली, पोस्ट–तांसीपुर, जनपद–सहारनपुर द्वारा दर्ज केस सं0–10051/24/64/2019/ओ0सी0 दिनांक–25.04.2019 के सम्बन्ध कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्रांक–10–2/शि0लि0/, दिनांक–03.05.2019 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने निर्देशित किया गया है। तंक्रम में शिकायती प्रकरण पर संयुक्त जांच जिला गन्ना अधिकारी, सहारनपुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर द्वारा दिनांक–25.05.2019 को की गयी। विस्तृत आख्या निम्नवत है:–

1. शिकायतकर्ता द्वारा मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0, गंगनौली, सहारनपुर से जनित राख से वायु प्रदूषण होने एवं उक्त से शिकायतकर्ता के स्वास्थ्य संबंधी समस्या एवं शिकायतकर्ता के फसल को नुकसान होने की शिकायत की गयी है।
2. **मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0, गंगनौली, जनपद–सहारनपुर में वर्ष 2006 से स्थापित है।** उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में गन्ना एवं प्रोसेस केमिकल्स् का प्रयोग कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उक्त उद्योग की सह–इकाई में मोलेसेस का प्रयोग कर रेक्टिफाईड एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय ऑफ सीजन होने के कारण चीनी इकाई बन्द पायी गयी, यद्यपि उद्योग की सह–इकाई (आसवनी इकाई) संचालित पायी गयी।
3. उद्योग में वायु प्रदूषण स्रोत के रूप में 03 नग ब्वायलर (90TPHx2 एवं 30TPHx1)स्थापित है। उक्त ब्वायलरों में ईंधन के रूप में बगास का प्रयोग किया जाता है। ब्वायलरों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में पृथक–पृथक रूप से वैट स्क्रबर सिस्टम स्थापित है। ब्वालयरों से जनित स्रोत उत्सर्जन के निस्तारण हेतु संयुक्त रूप से भू–तल से 65 मीटर की ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा घोषित चार्टर के अनुसार चिमनी पर आनलाईन कन्टीन्यूउस एमीशन मानिटरिंग सिस्टम स्थापित है। जिसको केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से लिंक किया गया है। निरीक्षण के समय 30 टन/घण्टा क्षमता का ब्वायलर संचालित पाया गया। **उद्योग द्वारा आनलाईन कन्टीन्यूउस एमीशन मानिटरिंग सिस्टम से जनित अनुश्रवण डाटा प्रस्तुत किया गया है। अनुश्रवण डाटा के अनुसार चिमनी से जनित स्रोत उत्सर्जन में वायु प्रदूषणकारी प्रचालक PM की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी।**
4. उद्योग को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा वायु सहमति वर्ष 2019 तक सशर्त निर्गत की गयी है। उद्योग द्वारा वायु सहमति में निहित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।
5. शिकायतकर्ता का निवास मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर इकाई के पीछे ग्राम–गंगनौली रोड़ पर उत्तर पश्चिम दिशा में उद्योग की चिमनी से लगभग 600 मीटर की दूरी पर कृषि भूमि पर स्थित है। ग्राम–गंगनौली की दूरी शिकायतकर्ता के घर से लगभग–01 किमी0 की दूरी पर है। शिकायतकर्ता के घर के सामने लगभग 10–15 मी0 की दूरी पर सन्दर्भित उद्योग से जनित राख का डम्पिंग ग्राउण्ड स्थित है। शिकायतकर्ता के परिवार सदस्यों के द्वारा पूर्व में कई बार डम्पिंग यार्ड से वायु प्रदूषण सम्बन्धी समस्या की शिकायत जन सुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उ0प्र0 पोर्टल पर की गयी थी। शिकायत के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,सहारनपुर द्वारा उद्योग को भण्डारित राख को विस्थापित करने, शिकायतकर्ता के घर के सामने डम्पिंग यार्ड पर बाउण्ड्री वाल का निर्माण कराने एवं वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उद्योग द्वारा शिकायतकर्ता के घर के सामने डम्पिंग यार्ड से लगभग 06 फीट ऊंची बाउण्ड्री वाल से कवर्ड किया गया एवं 300 पौधों का रोपण किया गया एवं डम्पिंग यार्ड परिसर में भण्डारित राख को 100 मीटर अन्दर तक विस्थापित किया गया था।
6. शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्रीमति बबीता, श्री नरेन्द्र पुत्र श्री कालूराम, श्री गर्वित पुत्र श्री नरेन्द्र उपस्थित थे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा शिकायत के सन्दर्भ में पूछे जाने पर श्री गर्वित पुत्र श्री नरेन्द्र द्वारा बताया गया कि डम्पिंग यार्ड में भण्डारित राख हवा से उनके निवास स्थान तक आती है एवं प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। शिकायतकर्ता का परिवार चाहता है कि उक्त समस्या के निराकरण हेतु उद्योग मुआवजा देकर उनको ग्राम–गंगनौली में विस्थापित करें।
7. अधोहस्ताक्षरी द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग की ओर से श्री आर0पी0सिंह, प्रबन्धक उपस्थित थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ब्वायलर से जनित राख को भण्डारित किये जाने हेतु डम्पिंग ग्राउण्ड का उपयोग किया जाता है। डम्पिंग ग्राउण्ड की भूमि का

GN

क्रमश...2

भू–उपयोग औद्योगिक है। शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में की गयी शिकायत के दृष्टिगत उक्त डम्पिंग ग्राउण्ड से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु लगभग 06 फीट ऊंची बाउण्ड्री वाल एवं वृक्षारोपण किया गया है। निरीक्षण के समय लगभग 06 फीट उंची बाउण्ड्री वाल सडक के किनारे स्थापित पाया गयी। उद्योग द्वारा बाउण्ड्री वाल के निकट वृक्षारोपण किया गया है।

8. शिकायतकर्ता के निवास स्थान परिसर का निरीक्षण किया गया। निवास परिसर में राख संचित होती नहीं पायी गयी। डम्पिंग ग्राउण्ड की बाउण्ड्री वाल के बाहर राख इत्यादि भण्डारित नहीं पायी गयी। **(छायाचित्र संलग्न)**

संयुक्त निरीक्षण में पाये गये तथ्यों के दृष्टिगत निम्न संस्तुति की जाती है।

संस्तुतिः–

(क) उद्योग द्वारा डम्पिंग ग्राउण्ड के बाहर स्थित बाउण्ड्री वाल की ऊंचाई को 06 फीट से बढाकर 15 फीट किया जाये।

(ख) उद्योग द्वारा डम्पिंग ग्राउण्ड के बाहर सघन वृक्षारोपण किया जाये एवं नियमित रूप से राख पर जल का छिडकाव किया जाये।

(ग) उद्योग द्वारा राख को बाउण्ड्री वाल से हटाते हुये डम्पिंग ग्राउण्ड के भीतर विस्थापित किया जाये एवं राख की मडकैपिंग की जाये।

(घ) शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य खराब होने एवं फसल खराब होने की शिकायत की गयी है। उक्त के दृष्टिगत स्वास्थ्य की जांच स्वास्थ्य विभाग एवं फसल खराब होने की जांच कृषि विभाग से कराया जाना उचित होगा।

उपरोक्त आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(गीतेश चन्द्रा)	(एस0आर0मौर्या)	(के0के0एम0त्रिपाठी)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी	**क्षेत्रीय अधिकारी**	**जिला गन्ना अधिकारी**
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	**उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**	**सहारनपुर।**
सहारनपुर।	**सहारनपुर।**	

Annexure - 6

प्रेषक,

जिला कृषि अधिकारी
सहारनपुर

सेवा में

जिलाधिकारी
सहारनपुर ।

पत्रांकः- 447 /कृषि/जाँच/ 2019-20/ दिनांकः- 24 अगस्त, 2019

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक सं0 291-2/शि0लि0/दिनांक 19.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में श्रीमती बबीता, ग्राम-गांगनौली पोस्ट-तांसीपुर जिला-सहारनपुर, द्वारा दर्ज केस संख्या-10051/24/64/2019/ओ0सी0/दिनांक 25.04.2019 के सम्बन्ध में है ।

उपरोक्त केस में संयुक्त जाँच आख्या जिला गन्ना अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड सहारनपुर द्वारा की गई है, जिसमें संयुक्त आख्या में की गई संस्तुति के बिन्दु संख्या (घ) के कम में जो कि मैसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर मिल गांगनौली सहारनपुर से जनित राख से फसल खराब होने के सम्बन्ध में, कृषि विभाग से आख्या अधोहस्ताक्षरी स्तर से चाही गई है, के कम में आख्या निम्नवत है ।

दिनांक 23.08.2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सन्दर्भित स्थल पर पहुँचकर निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के समय शुगर मिल प्रतिनिधि श्री आर0पी0सिंह, असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर इन्वायरमैन्ट शुगर मिल गांगनौली सहारनपुर ,श्रीमती बबीता पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार, श्री नरेन्द्र कुमार पति श्रीमती बबीता ,श्री गर्भित पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार मौके पर उपस्थित थे । श्रीमती बबीता के घर के पीछे लगे धान के खेत व अन्य आस-पास के खेतो का निरीक्षण किया गया , जिसमें शुगर मिल जनित राख का फसलो पर कोई नकारात्मक प्रभाव नही पाया गया । फसलो की बढवार सामान्य पाई गयी । उर्पयुक्त के सम्बन्ध में जारी रिसर्च पेपर के अध्ययन में भी यह पाया गया कि शुगर मिल के बाई-प्रोडक्ट का भूमि पर सकारात्मक प्रभाव पडता है (संलग्न) । श्रीमती बबीता व उनके पति श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि इस राख का कोई प्रभाव फसल पर नही था, जब उनके खेत में लेबर इत्यादि कार्य करती है तो उन्हे कार्य करने में असुविधा होती है ।

जाँच आख्या सेवा में सादर प्रेषित ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

जिला कृषि अधिकारी
सहारनपुर ।

Annexure-7

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,सहारनपुर

पत्रांक ग्राम गांगनोली/कार्य0/2019 - 2878-80 दिनांक- 25/11/19

प्रेषित,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,उ0प्र0
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
33/18 कपिल विहार, सहारनपुर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारण में योजित संख्या–763/2019 बबीता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 20.9.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1186/ओ0एस0763/19 (बबीता)/2019 दिनांक 13.11.2019 के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारण में योजित संख्या–763/2019 बबीता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 20.9.2019 के अनुपालन में ग्राम गांगनोली तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर में अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नागल द्वारा दिनांक 23.5.2019 को व दिनांक 10.08.2019 को स्वास्थ्य टीम गठित कर ग्राम गांगनोली में प्रधान सुभाष चन्द्र व शिकायत कर्ता श्रीमती बबीता के सम्मुख ग्राम प्रधान के यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया और ग्राम में कैम्प लगाकर 72 मरीजों का निरीक्षण किया, जिसमें से केवल 3 मरीज सांस, 42 मरीज बुखार, 4 मरीज चर्मरोग के मिले, ग्राम में 42 रक्त पटिट्का श्रीमती संयोगिता और श्री रितेश बी0एच0डबलू0 के द्वारा बनाई गयी। इनके अतिरिक्त श्रीमती बबीता पत्नी श्री नरेन्द्र के घर का भ्रमण किया गया। जिसमें उनके पति, पुत्र एवं बबीता का फिजिकल Examination किया गया, जिसमें वर्तमान में शिकायत कर्ता के परिवार मे किसी को भी सांस की बीमारी नही है। पुत्री गरिमा आयु 21 वर्ष ग्राम गांगनौली में नही मिली। शिकायत कर्ता के घर से 15 से 20 फिट की दूरी पर डंपिग यार्ड बना हुआ है। जिसमें शुगर मिल से निकली राख भण्डारित होती है, जिसके कारण भविष्य में Respiratory Disease होने की सम्भावना है। ग्राम में श्री सूरज सिंह एच0ई0ओ0 के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा एवं संचारी रोग से बचाव के बारे में बताया गया और श्रीमती संयोगिता एल0एच0वी0 के द्वारा घरों के अन्दर व बाहर पानी इक्कठा न हो तथा सप्ताह में एक बार बर्तन, कुलर व फ्रिज की ट्रे आदि में पानी न रहने देने की जानकारी दी गयी। जिससे वेक्टर जनित रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, के बारे में बताया गया। ग्राम में एण्टी लार्वा का छिडकॉव कराया गया और नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिडकॉव कराया गया।

सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सहारनपुर।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
2. जिलाधिकारी, सहारनपुर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सहारनपुर।

Annexure-8

22.11.19

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रकरण

प्रेषक

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
सहारनपुर।

प्राप्त संख्या 699
दिनांक 22-11-19
पत्रावली संख्या
क्रम सं.... ओ.ए. 763
सं.को.

सेवा में–

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदुषण नियन्यत्र बोर्ड
33/18 कपिल विहार सहारनपुर

पत्रांक 1563 /को0के0सामान्य/2017–18 दिनांक– 22-11-19

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0सं0 763/2019 बबीता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 20–09–2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1185/ओ0ए0न0 763/19 (बबीता) /19 दिनांक 13–11–2019 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जो मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा वाद संख्या 763/2019 बबीता बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में जारी आदेश के अनुपालन में बबीता के सलंग्न प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओं के कम में बजाज शुगर मिल ग्राम गागनौली तहसील देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा खुले में राख डालने से पशुओं के स्वास्थ परीक्षण सम्बन्धी आख्या चाही गयी है।

इस सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रसंख्या 1546/को0के0सामान्य/ 2017–18 दिनांक 18–11–2019 द्वारा उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी देवबन्द सहारनपुर एवं पशुचिकित्साधिकारी नागल जनपद सहारनपुर की कमेटी गठित कर बबीता के सलंग्न प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओं के कम में बजाज शुगर मिल ग्राम गागनौली तहसील देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा खुले में राख डालने से पशुओं के स्वास्थ परीक्षण सम्बन्धी आख्या मांगी गयी थी। मा0 न्यायालय के आदेश एवं बबीता के पत्र के कम में उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी देवबन्द सहारनपुर ने अवगत कराया है कि बजाज शुगर मिल ग्राम गागनौली तहसील देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा खुले में राख डालने से पशुओं में किसी तरह की बीमारी के संकेत नही मिले हैं ओर न ही ऐसे संकेत पाये गये हैं।

अतः उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी देवबन्द सहारनपुर की सूचनानुसार आख्या प्रेषित है।

भवदीय

(डा0बी0एस0शर्मा)
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
सहारनपुर।

प्रतिलिपि– उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी देवबन्द सहारनपुर को उनके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी सूचना के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
सहारनपुर।

AEE/SA

22/11/19

Annexure - 9

Boundry Wall of ash dumping site and applicant house

Ash dumping site

Ash dumping site alongwith boundry wall and thereafter applicant house